6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in

सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

6th Mile, Samdur, Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

SU/REG/Systems/F-2/26/2018/Vol-I/1370 दिनांक : 05/12/2019

कार्यालय आदेश – 402 /2019

सिक्किम विश्वविद्यालय के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संसाधन और इंटरनेट सुविधा की प्रयोग नीति से संबन्धित दस्तावेजों को एतदद्वारा विश्वविद्यालय के सभी छात्रों, अधिकारियों, संकायों, कर्मचारियों और सभी विजिटिंग प्रयोक्ताओं, जो विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए उपर उल्लिखित संसाधनों और सुविधाओं का उपयोग करते हैं, के सख्त और पूर्ण अनुपालन हेतु अनुलग्नक में संलग्न किया जाता है।

तेज कृष्ण कौल
(टी.के.कौल)
कुलसचिव

कुलसचिव
Registrar
सिक्किम विश्वविद्यालय
Sikkim University

संलग्न: अनुलग्नक

वितरण :

1. कुलपति के सूचनार्थ कुलपति के निजी सचिव
2. कुलसचिव के निजी सचिव
3. वित्त अधिकारी के निजी सचिव
4. परीक्षा नियंत्रक के निजी सचिव
5. पुस्तकालयाध्यक्ष
6. सभी अध्ययन विद्यापीठ के डीन
7. छात्र कल्याण डीन
8. सभी विभागों के अध्यक्ष/प्रभारी
9. विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी
10. सभी संकाय और कर्मचारी, ईमेल द्वारा
11. सभी संगठन, ईमेल द्वारा
12. सभी सूचना पट और विशविद्यालय के प्रमुख स्थान
13. सिस्टम एनालिस्ट - आधिकारिक वैबसाइट और वाईफाई लॉगइन पेज पर अपलोड करने हेतु
14. कार्यालय प्रति
15. सुरक्षा फ़ाइल

6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in

सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY
(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

6th Mile, Samdur, Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

(अनुलग्नक)

सिक्किम विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संसाधनों एवं इंटरनेट (आईटी) सुविधा उपयोग नीति

सिक्किम विश्वविद्यालय की आईटी संसाधनों और इंटरनेट सुविधा की परिभाषा इसमें डिजिटल डेटा :तक पहुँच के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, संग्रह, ईमेल सुविधा, इंटरनेट सुविधा की पहुँच या किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक आईटी संसाधन शामिल हैं।

सिक्किम विश्वविद्यालय आईटी संसाधनों और इंटरनेट सुविधा का उपयोग करे रहे है सभी उपयोगकर्ताओं के लिए विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शर्ते लागू और बाध्य हैं :

.1 उपयोगकर्ताओं को गैरकानूनी और दुर्भावनापूर्ण सामग्रियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या हार्ड कॉपी में विश्वविद्यालय के आईटी संसाधनों और इंटरनेट सुविधा का उपयोग करते हुए बनाना, देखना, पहुँच स्थापित करना, पहुँचने का प्रयास, भंडारण, संचारण, प्राप्त करना या प्रदर्शित करना निषिद्ध है।

.2 विश्वविद्यालय आईटी संसाधन और इंटरनेट सुविधा का उपयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगकर्ता द्वारा निम्नलिखितों के डाउनलोड, निर्माण, धोखेबाजी, प्रसारण या भंडारण के लिए नहीं किया जा सकता है:

क. जिसमे कोई भी हिंसक, अशोभनीय या भद्दा चित्र, वीडियो, पाठ या कोई भी डेटा, या जिसमे कोई अशिष्ट डेटा, भड़काव, अश्लील सामग्री हो।

ख. ऐसी सामग्री जो गैरकानूनी, अपमानजनक, डराने और भेदभाव पैदा करने की प्रकृति की हो।

ग. अनापेक्षित दुर्भावनापूर्ण सामग्री वाले ईमेल।

घ. वह सामग्री जिसका उपयोग विश्वविद्यालय या किसी तीसरे पक्ष के सदस्य के उत्पीड़न, डरानाधमकाना या उत्पीड़न के किसी भी कार्य में - सहायता के लिएकिया जा सकता है।

ङ. वह सामग्री जो लिंग, धर्म या विश्वास, विकलांगता, वर्ग, आयु, यौन अभिविन्यास या सामान्य रूप में भेदभाव के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देती है।

च. छल करने के इरादे से या जो दूसरों को धोखा देने की सामग्री हो।

छ. वह सामग्री जो किसी गैरकानूनी कृत्य का समर्थन या प्रोत्साहन करती हो।

ज. वह सामग्री जो तीसरे पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों या गोपनीयता के अधिकारों का उल्लंघन करती है, या जो किसी अन्य पार्टी के कानूनी अधिकारों के उल्लंघन करती हो।

झ. सामग्री जो विश्वविद्यालय को बदनाम करती हो।

.3 विश्वविद्यालय के आईटी संसाधनों और इंटरनेट सुविधाओं का उपयोग किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएँ।

.4 विश्वविद्यालय आईटी संसाधन और इंटरनेट सुविधा का उपयोग किसी भी अन्य गतिविधि के लिए नहीं किया जाएँ, जो गैरकानूनी हो तथा सरकार एवं विश्वविद्यालय के मानदंडों, प्रथाओं, नियमों और विनियमों का उल्लंघन करता हो।

उपर्युक्त किसी भी धारा के उल्लंघन की स्थिति में, विश्वविद्यालय किसी भी स्थिति में उत्तरदायी नहीं होगा और संबंधित उपयोगकर्ता, जिसकी गतिविधियों से धाराओं का उल्लंघन हुआ है, सरकारी एजेंसी द्वारा जांच और कानूनी कार्रवाई जैसे दंडात्मक कार्रवाई के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा। विश्वविद्यालय के पास उस व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

इसलिए, विश्वविद्यालय के सभी आईटी संसाधन और इंटरनेट सुविधाओं के उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे उपरोक्त धाराओं का पालन करें।

तेज कृष्ण कौल
(टी.के.कौल)
कुलसचिव
कुलसचिव
Registrar
सिक्किम विश्वविद्यालय
Sikkim University